कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांक /नाजिर/वाहन नीलामी–सूचना प्रकाशन/2018–19 दिनॉक 22-11-2018

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम्य विकास विभाग, अम्बेडकरनगर के निष्प्रयोज्य घोषित वाहन जीप संख्या–यू0एच0यू0/3068 जो विकास खण्ड अकबरपुर एवं यू0एम0पी0/6254 विकास खण्ड में जहॉगीरगंज में खड़ी है की सार्वजनिक नीलामी दिनॉक–19.12.2018 समय अपरान्ह 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक विकास भवन सभाकक्ष अम्बेडकरनगर में नियत है। नीलामी की शर्ते निम्नवत होगी :–

1– प्रत्येक बोली दाता की बोली के पूर्व रू0 10000.00 (रू0 दस हजार मात्र) की धनराशि अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना होगा।

2– इच्छुक बोली दाता बोली से पूर्व वाहन को किसी भी कार्य दिवस में विकास खण्ड अकबरपुर व जहॉगीरगंज के परिसर में वाहन को देख सकते है।

3– वाहन जिस दशा में उसी दशा में नीलाम किया जायेगा।

4– नीलामी की तिथि को शांति व्यवस्था के दृष्टिगत नीलामी स्थल में परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर में निहित होगा।

5– नीलामी समिति का यह विचार होने पर कि बोली वाले व्यक्तियों के एक गिरोह बना लिया है और वाहन का उचित मूल्य नही मिल रहा है, नीलामी में ऐसी स्थिति परिलक्षित होने पर नीलामी स्थगित कर दी जायेगी।

6– बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति/जिलाधिकारी में निहित होगा।

7– समिति द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम बोली तभी अन्तिम बोली मानी जायेगी जब जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित कर दी जाय।

8– उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा बोली का 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद नकद जमा करना होगा। चेक, बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नही किया जायेगा।

9– नीलामी की 25 प्रतिशत धनराशि जमा नही की जाती है तो अन्तिम बोली निरस्त कर दी जायेगी और नीलामी की गयी गाड़ी को पुनः नीलाम किया जायेगा। ऐसी दशा में उच्चतम बोलीकर्ता की जमा मुद्रांक रू0 10000.00 अर्नेस्ट मनी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

10– उच्चतम बोली दाता की बोली स्वीकृत हो जाने की समस्त धनराशि 03 दिन के अन्दर जमा करनी होगी तथा पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात वाहन जहॉं है वहॉं से हटा लेना होगा।

11– समिति द्वारा स्वीकार की गयी अन्तिम बोली जब तक जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित नही किया जाता है, तब तक नीलाम किया गया वाहन जहॉं है वही पर रहेगा तथा इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति की होगी।

12– नीलाम की गयी वाहन उच्चतम बोली बोलने वाले को तभी दी जायेगी जब उसके द्वारा वाहन के सम्बन्ध में बोली गयी धनराशि तथा उस पर देय बिक्रीकर का भुगतान पूरी तरह से कर लिया हो तथा वाहन को ले जाने की अनुमति दे दी गयी हो।

13– नीलामी शर्त के विषय में कोई भी विवाद होने पर जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर का निर्णय अन्तिम होगा तथा विवाद की स्थिति में कानूनी कार्यवाही अम्बेडकरनगर स्थित सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।

(उमेश नारायण पाण्डेय)
मुख्य विकास अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक 2530/दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
2. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
3. आयुक्त, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।
4. जिलाधिकारी महोदय, अम्बेडकरनगर की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद–अम्बेडकरनगर।
6. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली अकबरपुर–अम्बेडकरनगर।
7. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
8. नाजिर जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9. नाजिर विकास भवन, अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
10. नाजिर कलेक्ट्रेट, अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
11. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद अकबरपुर/टाण्डा/इल्तिफातगंज।
12. नाजिर समस्त तहसील अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
13. जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर को उक्त नीलामी की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि जनपद के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
14. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (एन0आई0सी0) अम्बेडकरनगर को इस आशय से कि नीलामी की शर्तो को **http://ambedkarnagar.nic.in** बेवसाइट पर लोड करने का कष्ट करें।

मुख्य विकास अधिकारी,
अम्बेडकरनगर।